

थाना शमसाबाद

दि०-19.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त बलवीर पुत्र महेश्वर यादव निवासी वाजिदपुर थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं० 136/1999 वाद संख्या 42/2000 धारा 3(1) गैरेस्टर एक्ट थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.08.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल गैरेस्टर एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 06 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी- श्री राजीव कुमार



को०मो० हे०का० राजेश कुमार



पैरोकार का० अबनीश कुमार

थाना शमशाबाद

दि०-19.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त नन्हकू पुत्र हवलदार निवासी वाजिदपुर थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं० 137/1999 वाद संख्या 43/2000 धारा 3(1) गैरेस्टर एक्ट थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.08.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल गैरेस्टर एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 06 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी- श्री राजीव कुमार



को०मो० हे०का० राजेश कुमार



पैरोकार का० अबनीश कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना शमशाबाद

दि०-19.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त श्याम बाबू पुत्र दफेदार निवासी नगला जमुनिया थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं० 138/1999 वाद संख्या 44/2000 धारा 3(1) गैरेस्टर एक्ट थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.08.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल गैरेस्टर एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 06 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी- श्री राजीव कुमार



को०मो० हे०का० राजेश कुमार



पैरोकार का० अबनीश कुमार

प्रेसनोट- कोतवाली कायमगंज



पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 179/25 धारा 3/25/35 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. पृथ्वीराज पुत्र हरिश्चन्द्र 02. रानी यादव पत्नी जोगेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम रानीपुर गौर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को 01 अद्धी देशी दोनाली तमंचा 315 बोर व 11 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 180/25 धारा 3/25/35 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01. अभियुक्ता प्रियंका उर्फ प्रेमिका पत्नी धर्मपाल निवासी ग्राम रानीपुर गौर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को 01 देशी तमंचा 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



ANGELS IN KHAKI

फतेहगढ़ पुलिस



दिनांक 19.08.2025 को थाना राजेपुर पर ग्राम प्रहरी डबरी वीरपाल द्वारा जरिए दूरभाष सूचना दी गई कि डबरी तिराहा से रामगंगापुल की तरफ बरेली-इटावा हाइवे के किनारे झाड़ी में एक नवजात शिशु लावारिस अवस्था में पड़ा है। उपरोक्त सूचना पर तत्काल थाना राजेपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुँची एवं बच्ची को सुरक्षित रूप से अपने संरक्षण में लिया। पुलिस द्वारा मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई एवं शिशु को सीएचसी राजेपुर में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार किया गया। वर्तमान में नवजात शिशु स्वस्थ है। चाइल्ड हेल्पलाइन फतेहगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया। उपरोक्त प्रकरण में गहनता से जाँच की जा रही है। इस सराहनीय कार्य के लिए थाना राजेपुर पुलिस टीम की आमजनमानस द्वारा प्रशंसा की जा रही है, जिन्होंने संवेदनशीलता, तत्परता एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए एक मासूम जीवन को समय रहते बचाया।

मीडिया सेल फतेहगढ़